न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— चेतन चौहान (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 20/2019

(आर सी एम एस नम्बरः— 2019/00027)

उनवान प्रकरण

जनका पुत्र बसन्ता जाति गडरिया निवासी ग्राम कोडपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 .....अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2—चंदनिया पत्नी बसन्ता |
3—गजसिंह | | समस्त जातिगण बघेला
4—सुरेश | पुत्रगण |
5—रमेश | | निवासीगण ग्राम कोडपुरा
6—विजयसिंह | बसन्ता |
7—रनवीर | | तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज0)
8—सरवती | पुत्रीयान |
9—किरनदेई | बसन्ता |

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 224 आदेश दिनांक 11.07.2015 बांके ग्राम कोडपुरा द्वारा तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :—श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2लगा09 की ओर से :— श्री कामेश्वर दयाल गौड एडवोकेट

निर्णय दिनांक : 05.07.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 224 बांके ग्राम कोडपुरा के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या—2 लगा0 9 के पिता बसन्ता पुत्र मुरली थे और बसन्ता की मृत्यु के उपरान्त अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत का तस्दीक किया गया है उसमें अपीलान्ट

Scanned by CamScanner

का नाम जनका पुत्र बसन्ता के बजाय जनकसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व मृतक बसन्ता के वारिसान के नामों की सही जानकारी की गई है जिससे अपीलान्ट का नाम जनका पुत्र बसन्ता के बजाय जनकसिंह पुत्र बसन्ता दर्ज कर दिया गया है जो कि असलियत के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान '' न्याय आपके द्वार '' के दौरान अपना काम का ब्यौरा सौंपने की नीयत से आनन–फानन में तहत नामान्तरण आदेश पारित किया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वातों के सर्वथा विपरीत है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की वैक पर पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश काबिल निरस्ती के है। अपीलाधीन नामान्तकरण का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 4.4.2019 को हल्का पटवारी से हुआ तदुपरान्त अपीलान्ट ने तहत नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 4.4.2019 को हल्का पटवारी को दिया जिसकी नकल अपीलान्ट को उसी दिन दिनांक 4.4.2019 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में कोई देरी हुई है देरी को क्षमा करने के लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तारीखी 11.7.2015 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के सही नाम से नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नमल नामान्तकरण संख्या 224, नकल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 ग्राम कोडपुरा, नकल नामान्तकरण संख्या 412, नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 खाता संख्या 124 ग्राम कोडपुरा तहसील सैपऊ एवं फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति भामाशाह कार्ड एवं फोटोप्रति वोटर आई डी कार्ड पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा09 की ओर से श्री कामेश्वरदयाल गौड एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बसन्ता की मृत्यु के उपरान्त अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत का तस्दीक किया गया है उसमें अपीलान्ट का नाम जनका पुत्र बसन्ता के बजाय जनकसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और ना ही

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व मृतक बसन्ता के वारिसान के नामों की सही जानकारी की गई। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के गलत नाम से तस्दीक किये गये बिरासतन के नामान्तकरण संख्या–224 को निरस्त कर अपीलान्ट के सही नाम जनका पुत्र बसन्ता के नाम से पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने का निदेवन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान कहा कि अगर नामान्तकरण में अपीलान्ट के नाम का गलत अंकन हो गया है तो ऐसे नामान्तकरण को तहसीलदार को जॉच हेतु रिमाण्ड किया जा सकता है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस के दौरान अपील में अपीलान्ट के कथनों को स्वीकार किया तथा अपील को स्वीकार किये जाने में उन्होने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि बसन्ता की मृत्यु के उपरान्त अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत का तस्दीक किया गया है उसमें अपीलान्ट का नाम जनका पुत्र बसन्ता के बजाय जनकसिंह दर्ज किया गया है जो गलत है जिसे सही नाम जनका के नाम से पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। अपीलान्ट ने अपने इन कथनों के समर्थन में अपना आधार कार्ड, बोटर आई डी कार्ड, भामाशाह कार्ड की जो फोटोप्रति पेश की है उसमें अपीलान्ट का नाम जनका पुत्र बसन्ता अंकित है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण के अलावा अन्य प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 412 ग्राम झीलरा तथा नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2072 ग्राम झीलरा के रिकार्ड में भी अपीलान्ट का नाम जनका पुत्र बसन्ता दर्ज रिकार्ड है। इसप्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा तहसीलदार सैपऊ को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 11.07.2015 ग्राम कोडपुरा तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के सही नाम की जॉच कर अपीलान्ट को सुनकर पुनः नियमानुसार नामान्तकरण पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन चौहान)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner